(SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) During January 1990 to February 1993 the Danapur Cantonment Board had passed 349 resolutions. Most of these resolutions are at various stages of implementation. Four resolutions relating to the following items have not been implemented due to paucity of funds: —

(1) Improvement of children's park at Marshal Bazar.

(2) Installation of Generator.

(3) Payment for the acquisition of land for trenching ground.

Maritime security challenges in Indian Ocean

1999. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state-.

(a) whether Government have any proposal under their consideration for reviewing the maritime security challenges particularly in the context of Pakistan's Naval expansion plans and the increasing quantum of trade and oil shipment across the Indian Ocean; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) Security assessment, reckoning acquisitions and militarisation plans of countries in the region, including Pakistan, remain under constant review and plans for defence preparedness are formulated accordingly.

Development of Industrial Base

2000. DR. NAUNIHAL SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the vast defence industrial base has not been geared up to fully exploit the foreign defence collaboration available to Government;

(b) whether it is also a fact that instead an emphasis has been made *to* purchase new equipment and critical spares on easy terms from, the former Soviet Union; and

(c) if so, the reasons for pursuing such a policy by Government when the country needs self reliance in defence preparedness?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) to (c) The approach of the Government is not restrictive in pursuing options of defence cooperation. The available options are evaluated on the basis of India's strategic and commercial interests and considerations of technical compatibility.

2001. [Transferred to 17th March, 1993]

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों के लिए उत्तर प्रदेश में पुनर्वास केन्द्र

2002. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्धों में मारे गए सैनिकों की विधवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में किन-किन स्थानों पर पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इन केन्द्रों के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इन केन्द्रों के अव्यवस्थित कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायत या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंटल केन्द्रों द्वारा क्रमश: लैन्सडौन और रानीखेत में युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और अन्यों के लाभ के लिए दो प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चलाए जा रहे हैं । लैन्सडौन केन्द्र को वर्ष 1989–90, 1990–91 और

1991–92 के दौरान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड से क्रमशः 76,286 रुपये, 49,943 रुपये और 74,338 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ ।

पौड़ी गढ़वाल में भी जिला सैनिक बोर्ड द्वारा एक सैनिक महिला प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चलाया जा रहा है । वर्ष 1992–93 के दौरान इसे राज्य सैनिक बोर्ड से 1,97,000 रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को दी जाने वाली सुविधाएं

2003. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या कितनी है :

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें क्या सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं :

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर सैनिक विश्राम गृह बनाए गए हैं और क्या सरकार उत्तर प्रदेश में नए सैनिक विश्राम गृह बनाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जिला सैनिक बोर्डों द्वारा 15 मई, 1992 से की जा रही भूतपूर्व सैनिकों की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 31 दिसम्बर, 1992 तक कुल 1,46,564 भूतपूर्व सैनिकों के नाम दर्ज किए गए हैं ।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास और कल्याण के लिए व्यापक व्यवस्था है । भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों में समूह बैंक "ग" और "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण के अलावा सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं । इनमें सेम्फेक्स–1, 2 और 3 योजनाएं भी शामिल हैं । इन योजनाओं के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए लघु उद्योग धंधे स्थापित करने अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में लाभकारी कृषि और गैर-कृषि कार्य करने, पेट्रोलियम पदार्थ एजेंसियों, भारतीय यूनिट ट्रस्ट एजेंसियों आदि के आबंटन की व्यवस्था की गई है ।

भूतपूर्व सैनिक सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं और नजदीकी कैंटीन स्टोर विभाग की कैंटीनों से कैंटीन सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं । युद्ध में वीरगति प्राप्त अथवा निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चे निःशुल्क शैक्षणिक सुविधाएं जैसे फीस, छात्रावास प्रभार, वर्दी आदि का खर्च पाने के हकदार हैं । युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को रेल की द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल-भाड़े में 75% की रियायत दी जाती है । शौर्य पुरस्कार विजेताओं को भी वायुयान और रेल की द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए भाड़े में 50% की रियायत दी जाती है । युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों, युद्ध में निशक्त हुए सैनिकों और शांतिकाल में सेवा के दौरान हताहत हुए सैन्य कार्मिकों को मकान बनाने और लड़की की शादी करने के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है । इस के अलावा, निर्धन भूतपूर्व सैनिकों और उनके बच्चों को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की कल्याण निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है । गम्भीर बीमारियों के विशेष डाक्टरी इलाज के लिए अनुदान राशि भी दी जाती है ।

(ग) उत्तर प्रदेश में नए सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण के लिए, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । उत्तर प्रदेश में मौजूदा सैनिक विश्राम गृहों की अवस्थिति